

एक नजर

नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। जमानत में नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 31 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला श्रीपरान कविशंकरनाथ अभियुक्त को तहत पेशी सेल बंदी और भाना सोनहा पुलिस की प्रामाणी पेशी के बाद आया है। जानकारी के अनुसार, 3 अप्रैल 2024 को बंदी ने भाना सोनहा में तस्वीर दी थी। इससे आरोप लगाया गया था कि उसकी नाबालिग भेटी को बहल-बहलकर भाना गंगा और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस तस्वीर के आधार पर भाना सोनहा में अभियुक्त सुप्रीम उर्फ रामसुख निवासी सोनहा बस्ती, भाना बस्ती, जिला अम्बरदरनगर) के खिलाफ चिकित्सा न्याय में मुकदमा दायर किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य प्रमाण किए और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस अधीक्षक बस्ती के जेडिआर पर पेशी सेल और भाना सोनहा पुलिस ने न्यायालय में मामले की प्रामाणी पेशी की। मामले की सुनवाई के बाद, एसडीजीओ पेशी कोर्ट, बस्ती ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास और 31,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

गौशाला में व्यक्ति की सारिधय परिस्थितियों में मौत

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। जिले के कलानगर बस्ती की ग्राम पंचायत पोखरा स्थित गौशाला में एक व्यक्ति की सारिधय परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पंचायत लगभग 50 वर्षीय नवम निवाह के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के अनुसार, ग्राम प्रधान द्वारा गौशाला में सफाई के लिए भेजे गए एक सफाईकर्मी ने नवम निवाह को अवैध अवस्था में पड़ा दिया। पास जाने पर पाता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। सफाईकर्मी ने तत्काल इसकी सूचना ग्राम प्रधान और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही भाना अख्य नगर भानु प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निष्पत्ति किया और पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भाना पुलिस को सौंप दिया। भाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्राम प्रतिनिधि बसुने सिंह ने बताया कि नवम निवाह परिस्थित लगभग दो घंटे गौशाला में बिताते थे। घटना की जानकारी तुरंत प्रशासन को दी गई। डॉ. खंड विकास अधिकारी कलानगर में बताया कि गौशाला में एक महिला केयरकर्मी भी तैनात है और पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। मृत्यु के कारणों को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणाधिक कारणों का खुलासा हो सकेगा। नवम निवाह अपने परिवार के कुटुंबी कमाने वाले सदस्य थे। उनके परिवार में अपनी पुत्रीवती और पांच बच्चे हैं। बंटना के बाद से परिवार में मातन सरसा हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की निष्पत्ति जांच की मांग की है।

सड़क हादसे में

युवक घायल

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर बड़ेअन ओवरब्रिज पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल खिता अस्पताल पहुंचाया। घायल युवक की पहचान विवेक पांडेय (पुत्र संतोष पांडेय) के रूप में हुई है, जो जमानत बस्ती के पैकवरिया थाना क्षेत्र के ग्राम जोकनहा के निवासी हैं। विवेक गुरुवार को दोपहर करीब 3:30 बजे अपनी मोटरसाइकिल (नं. 51 डी 8579) से बड़ेअन से टोल प्लाज बंद चौक की ओर जा रहे थे, तभी ओवरब्रिज पर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद विवेक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

फ्री खाना मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे—सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आभा)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फ्रीखान कल्चर (मुफ्त की रेवडिज) पर कहा कि अगर सरकार लोगों को सुबह से शाम तक फ्री खाना, गैस और बिजली देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे। ऐसे तो काम करने की आदत खल हो गयी। सरकार को रोजगार देने पर फोकस करना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि शरीरों की मदद करना समझ में आता है, लेकिन बिना फर्क किए सबको मुफ्त सुविधा देना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तमिलनाडु पावर डिस्ट्रिब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। इसमें कंजुमर्स की फाउनेशियल हालत की परवाह किए बिना सभी को फ्री बिजली देने का प्रस्ताव था।

CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागवी और जस्टिस विजुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि देश के ज्यादातर राज्य राजस्व घाटे में हैं और फिर भी वे विकास को नजरअंदाज करते हुए मुफ्त की घोषणाएं कर रहे हैं। आपको लोगों के लिए रोजगार के रास्ते बनाने

यूजीसी के नये नियमों को वापस लिये जाने की मांग को लेकर मेधा पार्टी का धरना जारी



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। यूजीसी के नये नियमों को वापस लिये जाने की मांग को लेकर मेधा पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष कद आदर्श पाण्डेय के नेतृत्व में गम्भी कक्षा बन्द के रिवत बापू प्रतिमा के निकट अतिरिक्तकालीन धरना पिछले 9 दिनों से जारी है। मेधा के राष्ट्रीय प्रवक्ता टीन दयाल त्रिपाठी ने कहा कि जब तक यूजीसी का भेदभावा पैदा करने वाला कानून वापस नहीं लिया जाता था का घरणबंद आन्दोलन जारी रहेगा। बुनारी लाम के लिये छात्रों की जाति, वर्ग में बांट देने का कड़यंत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अतिरिक्तकालीन धरने पर बैड मेधा पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष कद आदर्श पाण्डेय ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा उच्च शिक्षा परिसरों में समानता को बढ़ावा देने से संबंधी नए नियमों के विरोध में अतिरिक्तकालीन धरना जारी है।

जो लोग भुगतान करने में सक्षम हैं और जो नहीं हैं, उनके बीच कोई फर्क किए बिना मुफ्त सुविधा देना क्या तुच्छीकरण की नीति नहीं है? सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु पावर डिस्ट्रिब्यूशन कॉर्पोरेशन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कानूनी ने 2024 के विद्युत संशोधन नियमों के नियम 23 को चुनौती दी है। इसमें

महिला कांग्रेस से गाली-गलौज मामले में कोतवाल हटायें गये:त्रिनेत्र शेल को जिम्मेदारी

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। सदर कोतवाली इस्पेक्टर-विशेष चंद्र धोषी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह ने यह प्रशासनिक कार्रवाई की है। उन्हें पुलिस लाइन संबद्ध करते हुए प्रमारी त्रिनेत्र शेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

यह कार्रवाई एक महिला कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद हुई है। महिला कांग्रेस के इन्फेक्टर पर अवकाश को लेकर गाली-गलौज, दुर्व्यवहार और धमकी देने का आरोप लगाया था।

कोतवाली अपने छोटे बच्चे के साथ

मृत दरोगा की बाइक चोरी करने वाला गिरफ्तार



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। छवनी पुलिस, एसओजी और स्वाट, सर्जिलस टीम ने संसुक्त कार्रवाई करते हुए एक शांति वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सस्त्र नदी पुल से मृत उपनिरीक्षक अजय गौड़ की बाइक चोरी की थी। उसके कब्जे से चार मोटरसाइकिलें और 1010 रुपये बरामद किए गए हैं।

थानाध्यक्ष चंदन कुमार के नेतृत्व में टीम रामजानकी तिराहे पर गश्त कर रही थी। मुखबिरी की सूचना पर अमोडा क्षेत्र में रहमगुल्ला के बंद मुर्गा क्षेत्र के पास से विशाल सोनी (25) निवासी फाकड़डा, थाना लालगंज को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक स्टांडर प्लस (UP51BH 2048) बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी विशाल सोनी

23 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में होगा एसआईआर

नई दिल्ली (आभा)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने संकेत दिया है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित शेष 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सुविधों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) अभियान से शुरू होने की उम्मीद है। चुनाव आयोग के सचिव पवन दीवान ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को सूचित किया कि उन्हें विशेष गहन सुनिरीक्षण प्रक्रिया के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए तैयारी का काम जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए।

चुनाव आयोग ने गुरुवार को देशभर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने लेटर में बताया कि दिल्ली, कर्नाटक सहित शेष 22



राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रक्रिया अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है। लेटर में आगे कहा गया है कि चुनाव आयोग ने पिछले साल 24 जून को आदेश दिया था कि पूरे देश में एसआईआर किया जाए। चुनाव आयोग ने पहले फेज में बिहार में एसआईआर करवाया था।

घर के सामने क्रिकेट खेलने से रोका तो मारा पीटा: दोषियों के गिरफ्तारी की मांग

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। मुण्डेरवा थाना क्षेत्र के कबरा डिहवा गांव में घर के सामने क्रिकेट खेलने से रोकने पर विवाद, मारपीट का मामला सामने आया। इस सम्बन्ध में मुण्डेरवा पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच कर रही है। मारपीट के दौरान 5 घायलों में से दो का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है।



मुण्डेरवा थाना क्षेत्र के कबरा डिहवा निवासी लालमति पत्नी रामसकल ने तस्वीर में कहा है कि गत 18 फरवरी की सुबह उनके गांव में नितेश पुत्र अशोक व गांव के कुछ लड़के उनके घर के सामने क्रिकेट खेल रहे थे और उनका कुशुर घर बाव आने पर वालो डौलकर गेंद बार-बार घर में आ रहा था। उनके पति राम सकल नितेश से बोले की कही और जाकर खेल लो तो नितेश ने कहा की मैं यही खेदंगा

कुमार व राम सकल, बेटी माया पति राम सकल, उसे और अतुल पुत्र आसुतोष को हानकी व लाठी-डंडे से बेरमही से मारा पीटा। उनके बेटे व बेटी का सर फूट गया और 6 मस्की दिर की तुम लोगों को जान से मार दो हमारा कोई कुछ नहीं बिनाइ पायेगा। लालमति ने पूरे मामले की जांच करारक दोषियों को गिरफ्तार किये जाने की मांग किया है।

निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 120 का उपचार

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। गुरुवार को प्रसन्न वसमागर में क्लब अख्य विनोद कुमार उपाध्यक्ष और पदधिकारियों के संयोजन में पत्रकारों के लिये निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 120 लोगों को उपचार, शुगर, बी.पी., हीमोग्लोबिन की जांच के साथ ही निःशुल्क एलोकॉर और होमोपैथ की दवायें उपलब्ध करायी गयीं। स्वतंत्र अख्य विनोद कुमार उपाध्यक्ष और महामंत्री महेंद्र तिवारी ने बताया कि पत्रकारों उनके परिजनों के बेहतर स्वास्थ्य के लिये समय-समय पर शिविर कराये जाते हैं।



चिकित्सा शिविर में पटेल एस.एम.एच. हॉस्पिटल के चिकित्सक एच जिला चिकित्सालय के आयुष चिकित्साधिकारी डा. बी.के. वर्मा, डा. राजेश चौधरी, डा. एस.के. त्रिपाठी, डा. अतुल श्रीवास्तव, डा. कमल वर्मा, निःशुल्क चिकित्सा शिविर को सम्मान करने में प्रकाश चन्द्र गुप्ता, वशिष्ठ पाण्डेय, राघवेंद्र प्रसाद सिंह, राजेश पाण्डेय, विपिन विहारी त्रिपाठी, संजय विश्वकर्मा, सर्वेश श्रीवास्तव, राजेंद्र उपाध्यक्ष पदाधिकारियों के साथ ही जयन्त मिश्र, पुनीत ओझा, अमर सोनी, अनिल पाण्डेय, अक्रिच, चित्रसेन पाण्डेय आदि ने प्रसाद कुमार, आनन्द गौतम, राकेश त्रिपाठी आदि ने योगदान दिया।

मकान मालिक को किरायेदारों से खतरा एसपी से लगाया न्याय की गुहार

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। कोतवाली थाना क्षेत्र के पिकोरा दत्त राय निवासी मकान संख्या 143 के स्वामी विद्याधर रंजन उर्फ अभिमन्यु पुत्र स्वीय प्रम प्रयाद श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि उनके मकान में रह रहे किरायेदार रत्नेश शुक्ला, अनुराग शुक्ला तथा संजय सिंह उनकी असहाय स्थिति का लाभ उठाकर मकान पर अंधे कब्जा करना चाहते हैं।



विद्याधर रंजन उर्फ अभिमन्यु ने एसपी को दिये पत्र में कहा है कि वे माता-पिता के निधन के बाद अकेले रहते हैं और लगातार मिल रही धमकियों के कारण अपने ही घर में रहने से विवंचित हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में थाना कोतवाली में शिकायत करने पर दोनों पक्षों को बुलाया गया था, जहाँ किरायेदारों ने मकान खाली कर दिया है। उन्होंने उजााया से अघील की है कि किसी भी नौकरी के बिना पर पैस देने से पहले संबंधित मकान पर उसकी सत्यता की पुष्टि अवश्य कर लें।

बर्खास्त सिपाही ने वर्दी पहनकर किया उगी: नौकरी का झांसा देकर सौंपा फर्जी नियुक्ति पत्र, वसूल 1.84 लाख

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। एक बर्खास्त पुलिस सिपाही को नौकरी दिलाने के नाम पर उगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) में सैंविदा ब्रज प्रबंधक के पद पर नौकरी का झांसा देकर दो युवकों से 1.84 लाख रुपये उगे थे। लालगंज पुलिस ने उसे फर्जी नियुक्ति पत्र के साथ पकड़ लिया।



पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान अजय कुमार जासवाल पुत्र सर, अश्वनीकुमार जासवाल, निवासी बलीपुर गायत्रीनगर, थाना कोतवाली नगर, जमानत प्रतापगढ़ के रूप में हुई है। उसे अब 2024 में पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बावजूद, वह पुलिस की वर्दी पहनकर खुद को NSSO में एक प्रभावशाली व्यक्ति बताता था।

जांच करायी, तो वे जाली पाए गए। 19 फरवरी को आरोपी नियुक्ति पत्र के पास दोबारा कुशुर और नियुक्ति पत्र देने और अतिरिक्त पैसे लेने पहुंचा। इस दौरान ही वह पुलिस की वर्दी में था, लेकिन उसकी नेम प्लेट पर राहुल कुमार लिखा था। पीछिलो ने सतर्कता दिखाते हुए उसे मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया।

थेराधिकारी कुलदीप यादव ने बताया कि आरोपी को खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभिक जांच में फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाड़ी करने की पुष्टि हुई है। उन्होंने उजााया से अघील की है कि किसी भी नौकरी के बिना पर पैस देने से पहले संबंधित मकान पर उसकी सत्यता की पुष्टि अवश्य कर लें।

ऐसा इसलिए कि जातिवादी केंसर, साम्राज्यवाद एकसुर और बेजवाही तपोदिक (टीबी) से शांतिप्रिय व सहस्रशरीर भारतीय समाज सदीयों से ग्रसित है। लेकिन बीती सदी इन्हें एक कानूनी स्वयं दमक स्थिति को जलित करनी सदा द गड है। किसी समूह के इतिहास को साझी मानकर उनका वर्तमान को हॉदी के जो सिरासी प्रसुति भारत में रानी है, उससे समाज व कथित स्वर्ण जातीयों में भारी घुस व्यापक है।

इसलिए समझेंनी संभाविक प्रक्रा जाँ, सति-सतिहिंसा पर समान कानूनी सख्ती और सामाजिक जागरूकता के संयोजन से ही अब जलित स्थिति से निपटना संभव है, लेकिन समूह सिरासी सुरु इन्हें निपटव है। वर अब नी विसेशी फूट डालो, शासन करो पर केंद्रित है। जिहाज, कलेब कानूनी उपाय अपेक्षित है। पहले चुनाव आयोको को राजनीतिक सखत और नेमाओं के भारीण पर दखल निगरानी रखनी चाहिए।

